

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2014/कार्तिक 12, 1936 No. 566] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2014/KARTIKA 12, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2014

सा.का.नि 772(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637क की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 642 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 470 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कठिनाइयों को हटाने संबंधी आदेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा कंपनी विधि बोर्ड(आवेदन और अर्जी पर फीस) नियम, 1991 में आगे और संशोधन करने के लिए निमनलिखित नियम बनाती है, नामतः

- 1. (1) इन नियमों का नाम कंपनी विधि बोर्ड (आवेदन और अर्जी पर फीस) संशोधन नियम, 2014 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी विधि बोर्ड (आवेदन और अर्जी पर फीस) नियम, 1991 में अनुसूची में क्रम संख्या 33 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी अर्थातः

"34	कंपनी अधिनियम, 2013 की	अप्रैल से मार्च से भिन्न किसी अन्य अविध को वित्तीय वर्ष	5,000
	धारा 2 (41)	के रूप में अनुज्ञात करना	
35	कंपनी अधिनियम, 2013 की	सदस्यों के रजिस्टर का शुद्धिकरण	500
	धारा 58 और 59		
36	कंपनी अधिनियम, 2013 की	ऐसे भुगतान न करने के परिणामस्वरूप किसी देय धनराशि	100
	धारा 76 के साथ पठित धारा	अथवा किसी हानि अथवा नुकसानी के भुगतान के लिए कंपनी	
	73 (4)	को निर्देश देना	
37	कंपनी अधिनियम, 2013 की	कंपनी को जमा राशि की वापसी के लिए युक्तियुक्त विचार	5,000"
	धारा 74 (2)	किए गए समय को बढाने के लिए अनुज्ञात करना	

[फा. सं. 1/19/2014—सीएल—V] अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

4345 GI/2014 (1)

टिप्पण : मूल अधिसूचना सा.का.नि. 290 (अ) तारीख 31.5.1991 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और जिसके पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया :

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 787 (अ)	29.9.1992
2.	सा.का.िन. 219 (अ)	6.3.2000
3.	सा.का.िन. 510 (अ)	22.7.2002
4.	सा.का.नि. 547 (अ)	10.7.2012

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

Nw Delhi, the 3rd November, 2014

- **G.S.R.** 772(E).—In exercise of the powers conferred by section 642 read with sub-section (2) of section 637A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and the removal of difficulty Orders issued by the Central Government under section 470 of the Companies Act, 2013, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Company Law Board (Fees on Applications and Petitions) Rules, 1991 namely:-
- 1 (1) These rules may be called the Company Law Board (Fees on Applications and Petitions) Amendment Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Company Law Board (Fees on Applications and Petitions) Rules, 1991, in the Schedule, after serial number 33 the following shall be inserted, namely:

"34	2(41) of the Companies Act, 2013	Allowing any period other than April to March as	5,000
		financial year.	
35	58 and 59 of the Companies Act, 2013	Rectification of register of members	500
36	73(4) of the Companies Act, 2013 read	Directing the company to pay the sum due or for	100
	with section 76	any loss or damage incurred as a result of such	
		non-payment.	
37	74(2) of the Companies Act, 2013	Allow further time as considered reasonable to the	5,000.".
		company to repay the deposit.	

[F. No. 1/19/2014-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note: The Principal Notification was published vide No: GSR 290(E) dated 31.5.1991 and subsequently amended by:

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	GSR 787(E)	29-9-1992
2.	GSR 219(E)	6-3-2000
3.	GSR 510(E)	22-7-2002
4.	GSR 547(E)	10-7-2012